


बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 29/04/2016

संख्या-2/टी०-2/16- 456 (2) स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी डा० मो० मुकसुदूल हक को नियमित पदस्थापन होने तक पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है जहाँ वे अधीक्षक के निदेशनुसार कार्य करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा एवं वास्तविक पदस्थापन होने तक के लिए होगा ।

  
(अनिल कुमार)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/टी०-3/16- 456 (2)

पटना, दिनांक 29/4/2016


प्रतिलिपि, ई-गजट प्रभारी, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त पटना/जिलाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ /संयुक्त सचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, आई०टी०, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के उप सचिव